**पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में**

**2019 का आपराधिक अपील (खंड पीठ) सं.223**

थाना कांड संख्या-39 वर्ष-2016 थाना- भरगामा जिला- अररिया से उत्पन्न

==========

1. मो. बाबर @ मो. बाबर अली मोहम्मद, पिता- कामरुल निवासी- बीर नगर, टोला- टोपरा, थाना- भरगामा, जिला- अररिया

2. मोहम्मद रुस्तम, पिता- मोहम्मद उस्मान, निवासी- बीर नगर, टोला- टोपरा, थाना- भरगामा, जिला- अररिया

.....अपीलार्थी/ओं

बनाम्

बिहार सरकार

.....विपक्षी/गण

==========

**उपस्थितः**

| | | |
|---|---|---|
| अपीलार्थी/ओं की ओर से | : | श्री प्रतीक मिश्रा, अधिवक्ता |
| | | श्री वत्सल विशाल, अधिवक्ता |
| | | श्री उदभव, अधिवक्ता |
| सूचक की ओर से | : | श्री पंकज कुमार झा, |
| राज्य की ओर से अधिवक्ता | : | श्री बिपिन कुमार, एपीपी |

==========

***अपील का विषय - दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 - धारा 374(2) के तहत दोषसिद्धि के विरुद्ध अपील।*** *- साक्ष्य की विश्वसनीयता, जिसमें गवाहों के बयानों में विरोधाभास, प्राथमिकी और जांच में असंगतियां शामिल थीं। - प्रक्रियात्मक त्रुटियां, विशेष रूप से धारा 313 दं.प्र.सं. का पालन न करना। - प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन, जिससे आरोपी को पर्याप्त अवसर नहीं मिला।-* ***(संदर्भः सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य (एआईआर 2013 एससी 3817)*** *(पैरा*

*25) कथित घटना स्थल और मकसद की अपर्याप्त पुष्टि, इसकी रिकॉर्डिंग के समय और स्थान में महत्वपूर्ण विसंगतियां इसकी प्रामाणिकता पर संदेह पैदा करती हैं।*

*(पैराग्राफ- 21, 22)।*

*धारा 313 दं.प्र.सं. का पालन न करने से आरोपी को पूर्वाग्रह हुआ- महत्वपूर्ण साक्ष्यों पर आरोपी से कोई प्रश्न नहीं पूछा गया, जिससे उसे अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं मिला।- (संदर्भः नरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य [2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1641]*

*(पैरा 26-27)*

***गवाहों के बयानों में विरोधाभास*** *- मुख्य अभियोजन गवाहों के बयानों में घटना की परिस्थितियों, घटनाक्रम और स्थान को लेकर भारी विरोधाभास पाया गया। - गवाह - पीड़ित के करीबी रिश्तेदार थे, इसलिए उनके बयानों को सावधानीपूर्वक जांचा गया। - चिकित्सक (अभि.सा.-6) ने पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में चोटों का उल्लेख किया, लेकिन स्पष्ट किया कि चोटें धारदार या कुंद हथियार से हुई थीं, इसे बिना अतिरिक्त पुष्टि के निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता।*

*(पैरा 22-24)*

*स्वतंत्र गवाहों एवं भौतिक साक्ष्यों की अनुपस्थिति - - अभियोजन पक्ष ने कोई स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत नहीं किया। - कोई ठोस भौतिक साक्ष्य (जैसे रक्तरंजित मिट्टी, हथियार, या अन्य फॉरेंसिक प्रमाण) प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे अभियोजन का मामला कमजोर पड़ गया।*

*(पैरा 19-23)*

*निष्कर्ष - - अभियोजन पक्ष यथोचित संदेह से परे अपना मामला साबित करने में विफल रहा।- गवाहों के बयानों में विरोधाभास, प्रक्रियात्मक त्रुटियां, और पुष्टि करने वाले साक्ष्यों की कमी के कारण **दोषसिद्धि रद्द कर दी गई - अपीलकर्ता (मो. बाबर) को बरी कर दिया गया।*

*(पैरा 28-31)*

==========

**पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश**

==========

**कोरमः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली**
**एवं**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री रमेश चंद मालवीय**

**मौखिक निर्णय**

**(प्रतिः माननीय न्यायमूर्ति श्री विपुल एम. पंचोली)**

**तारीखः18-07-2024**

वर्तमान अपील दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के तहत दायर की गई है (जिसे आगे 'कोड' कहा जाएगा) जिसमें भरगामा थाना केस संख्या 39/2016 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 548/2016 (सीआईएस संख्या 489/2016) में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अररिया द्वारा पारित दिनांक 14.12.2018 के दोषसिद्धि के फैसले और दिनांक 18.12.2018 के सजा के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसके तहत संबंधित विचारण न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 34 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए दोषी ठहराया है और उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित 34 के तहत अपराध के लिए आजीवन कठोर कारावास और 50,000/- रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक वर्ष का साधारण कारावास भी भुगतना होगा।

2. सर्वप्रथम, यह ध्यान देने योग्य है कि वर्तमान अपील दो अपीलकर्ताओं अर्थात् अपीलकर्ता संख्या 1 मो. बाबर उर्फ मो. बाबर अली और अपीलकर्ता संख्या 2 मो. रुस्तम द्वारा दायर की गई है। अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक मिश्रा ने निर्देशों के तहत प्रस्तुत किया कि अपीलकर्ता संख्या 2 मो. रुस्तम की वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई। वास्तव में, उन्हें इस न्यायालय द्वारा जमानत पर रिहा किया गया था। इसलिए, हमने अपीलकर्ता संख्या 1

के संबंध में वर्तमान अपील पर विचार किया है, जो हिरासत में है। यह अपील अपीलकर्ता संख्या 2 के संबंध में निरस्त की जाती है।

3. अभियोजन पक्ष की कहानी, संक्षेप में, इस प्रकार हैः-

3.1. सूचक दिनांक 02.04.2016 को प्रातः 07:00-08:00 बजे अपने पुत्र अब्दुल कबीर के साथ गेहूं की फसल काटने के लिए खेत पर गई थी। जब वे फसल काट रहे थे, तो प्रातः 09:00 बजे उसका पति अब्दुल जब्बार पहुंचा और नाश्ता मांगा। इसी बीच सगीर, बाबर, रुस्तम और बीबी सकीला *फरसा, लाठी,* तीर से लैस होकर आए और उसके पति अब्दुल जब्बार को घेर लिया और फिर सगीर ने उसके पति के सिर पर लगातार फरसा से वार किया। बाबर ने भी *लाठी* से लगातार हमला किया और फिर रुस्तम तीर से लैस होकर उन्हें जान से मारने के लिए उकसा रहा था। हमले के कारण उसके पति के शरीर के विभिन्न हिस्सों पर कई चोटें आईं, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गया। इसके बाद, आरोपियों ने उसके दांत और जबड़े को तोड़ दिया और सकीना उनका साथ दे रही थी। सूचक ने अपने बेटे के साथ बीच-बचाव किया तो उनके साथ भी मारपीट की गई, जिससे वे भी अचेत हो गए। घटना का कारण यह था कि मृतका के अपने भाई कमरुल जो कि अभियुक्त सगीर का पिता है, ने मृतका के पति के पक्ष में 17 *खत्ता* जमीन का विक्रय पत्र लिख दिया था, जिससे सभी अभियुक्तगण नाराज थे।

3.2. प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के बाद जांच अधिकारी ने जांच शुरू की और जांच के दौरान उन्होंने गवाहों के बयान दर्ज किए और उसके बाद संबंधित मजिस्ट्रेट कोर्ट के समक्ष अपीलकर्ता/आरोपी के खिलाफ आरोप-पत्र दाखिल किया। चूंकि मामला विशेष रूप से सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय था, इसलिए विद्वान दंडाधिकारी ने

इसे सत्र न्यायालय को सौंप दिया, जहां इसे सत्र परीक्षण संख्या 548/2016 (2016 का सी.आई.एस. संख्या 489) के रूप में पंजीकृत किया गया।

4. अपीलकर्ता की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक मिश्रा को सुना गया, जिनकी सहायता श्री वत्सल विशाल और श्री उद्भव ने की, सूचक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री पंकज कुमार झा और प्रतिवादी-राज्य की ओर से विद्वान ए.पी.पी. श्री बिपिन कुमार को सुना गया।

5. अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री प्रतीक मिश्रा प्रस्तुत करते हैं कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, सूचना देने वाले का *फर्दबयान* दिनांक 02.04.2016 को 14:30 बजे सदर अस्पताल, पूर्णिया के आपातकालीन वार्ड में दर्ज किया गया। उक्त *फर्दबयान* ए.एस.आई. श्री भगवान पांडेय द्वारा दर्ज किया गया। हालांकि, उक्त पदाधिकारी, जिसने फर्दबयान दर्ज किया है, से अभियोजन पक्ष द्वारा पूछताछ नहीं की गई है। अभियोजन पक्ष द्वारा सूचक से अभि.सा.-4 के रूप में पूछताछ की गई तथा अपने बयान में सूचक ने तथाकथित *फर्दबयान* में लगाए गए अपने दाहिने अंगूठे के निशान की पहचान नहीं की। इसके विपरीत, सूचक ने कहा है कि उसका बयान उसके घर पर तब दर्ज किया गया, जब वह शव के साथ पूर्णिया से लौटी थी। इसलिए, विद्वान अधिवक्ता ने आग्रह किया कि *फर्दबयान*/एफ.आई.आर. विधिवत साबित नहीं हुआ है तथा उसे प्रदर्शित नहीं किया गया है। इस स्तर पर, यह तर्क दिया गया है कि अभि.सा.-3, जो कि सूचक का पुत्र है, ने न्यायालय के समक्ष यह बयान दिया है कि सूचक का बयान घटनास्थल पर दर्ज किया गया था और सूचक ने घटनास्थल पर ही बयान पर अपने अंगूठे का निशान लगाया था।

6. विद्वान अधिवक्ता ने आगे कहा कि *फर्दबयान* में सूचक का मामला है कि वह अपने पुत्र (अभि.सा.-3) के साथ प्रातः लगभग 07:00-08:00 बजे खेत में गेहूं की

फसल काट रही थी। मृतक उक्त स्थान पर प्रातः लगभग 09:00 बजे आया तथा आरोप है कि उसी समय आरोपीगण वहां आए तथा मृतक पर हमला किया। हालाँकि, अदालत के समक्ष अपने बयान के दौरान, सूचना देने वाली ने अपने बेटे की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया है।यह भी तर्क दिया जाता है कि अभि.सा.-2, जो मृतक की बेटी और मुखबिर है, ने अदालत के समक्ष बयान दिया कि वह *हल्ला* सुनने के बाद घटना स्थल पर गई थी और मृतक जमीन पर पड़ा हुआ था, खून बह रहा था, उसके दांत टूट गए थे और रॉड डालने से मृतक का मुंह फट गया था। उसने यह भी बयान दिया है कि उसकी माँ भी *हल्ला* सुनकर वहाँ पहुँच गई थी। इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि सूचना देने वाला और उसका बेटा, वास्तव में, विचाराधीन घटना के चश्मदीद गवाह नहीं हैं और वे *हल्ला* सुनने के बाद घटना स्थल पर पहुंचे, जबकि मृतक पर पहले ही हमला किया जा चुका था। इस स्तर पर, यह भी तर्क दिया जाता है कि अभियोजन पक्ष ने केवल इच्छुक/संबंधित गवाहों से पूछताछ की है और किसी भी स्वतंत्र गवाह से पूछताछ नहीं की गई है। यह भी प्रस्तुत किया जाता है कि तथाकथित चश्मदीद गवाहों द्वारा दी गई गवाही भरोसेमंद नहीं है और इसलिए, उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

7. तत्पश्चात विद्वान अधिवक्ता श्री प्रतीक मिश्रा ने प्रस्तुत किया कि अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार घटनास्थल सूचक का खेत है जो गांव के पूर्व में स्थित है। हालांकि, जांच अधिकारी पीडब्लू-5 ने यह बयान दिया है कि उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पाया कि यह मोहम्मद रुस्तम का खेत है। इस स्तर पर, विद्वान अधिवक्ता ने सूचक की पुत्री अभि.सा.-1 के बयान का भी उल्लेख किया है, जिसने यह बयान दिया है कि *हल्ला* सुनने के बाद वह उस स्थान पर पहुंची जहां मृतक मौजूद था। हालांकि, सूचक की एक अन्य पुत्री अभि.सा.-2 ने यह बयान दिया है कि घटनास्थल पर खून था और जमीन खून से पूरी तरह गीली थी तथा

घटनास्थल पर कोई *बंध* नहीं था। यह प्रस्तुत किया गया है कि अभि.सा.-3 ने भी घटनास्थल पर दो दिनों तक खून के धब्बे होने की बात कही है। हालांकि, अभि.सा.-5 (जांच अधिकारी) ने गवाही दी है कि वह घटना की तारीख को दोपहर करीब 12:15 बजे घटनास्थल पर पहुंचे और उन्होंने पाया कि गेहूं की फसल रौंदी नहीं गई थी बल्कि प्राकृतिक अवस्था में थी। उन्हें घटनास्थल पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इसलिए, विद्वान वकील ने आग्रह किया कि अभियोजन पक्ष घटनास्थल साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है।

8. विद्वान वकील श्री प्रतीक मिश्रा आगे तर्क देंगे कि अभियोजन पक्ष भी घटना की उत्पत्ति को साबित करने में विफल रहा है। मुखबिर ने *फर्दबयान* में कहा है कि पक्षों के बीच 17 कट्टा भूमि के संबंध में विवाद के कारण यह घटना हुई। वास्तव में, सूचना देने वाले ने *फर्दबयान* में कहा है कि आरोपी सह-ग्रामीण/पड़ोसी हैं।हालाँकि, अभियोजन पक्ष के अन्य गवाहों के बयान से यह पता चलता है कि अपीलार्थी अभि.सा.-1 से अभि.सा.-3 का चचेरा भाई है।

9. विद्वान वकील ने अंत में तर्क दिया कि संहिता की धारा 313 के तहत अपीलार्थी/अभियुक्त का आगे का बयान दर्ज करते समय, अपीलार्थी के खिलाफ आपत्तिजनक सामग्री/परिस्थितियाँ उसके सामने नहीं रखी गईं और इस तरह अपीलार्थी/अभियुक्त के प्रति गंभीर पूर्वाग्रह पैदा किया गया है।

10. इसलिए, अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि यद्यपि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, लेकिन निचली अदालत ने विवादित निर्णय और आदेश पारित कर दिया है और इसलिए, इसे रद्द कर दिया जाए और अलग कर दिया जाए।

11. दूसरी ओर, विद्वान ए.पी.पी. के साथ-साथ मुखबिर की ओर से विद्वान वकील श्री पंकज कुमार झा ने वर्तमान अपील का विरोध किया है। उत्तरदाताओं के विद्वान वकीलों का कहना है कि विचाराधीन घटना के चश्मदीद गवाह हैं और उन्होंने अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन किया है। केवल इसलिए कि वे मृतक के करीबी रिश्तेदार हैं, उनके बयान को खारिज नहीं किया जा सकता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि चिकित्सा साक्ष्य भी अभियोजन पक्ष के मामले का समर्थन करते हैं।इस प्रकार, जब अभियोजन पक्ष अपीलार्थी के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित कर देता है, तो विचारण न्यायालय द्वारा विवादित निर्णय और आदेश पारित करते समय कोई त्रुटि नहीं की जाती है। इसलिए विद्वान वकीलों ने आग्रह किया कि वर्तमान अपील को खारिज कर दिया जाए।

12. हमने पक्षकारों के विद्वान वकीलों द्वारा प्रचार की गई दलीलों पर विचार किया है। हमने अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य का भी अध्ययन किया है और प्रदर्शित दस्तावेजी साक्ष्य का भी अध्ययन किया है।

13. इस स्तर पर, हम विचारण न्यायालय के समक्ष अभियोजन पक्ष के नेतृत्व में पूरे साक्ष्य के प्रासंगिक उद्धरण की सराहना करना चाहेंगे।

14. निचली अदालत के समक्ष अभियोजन पक्ष ने 6 की जांच की थी गवाह।

15. अभि.सा.-1 टंकीला ने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि घटना के दिन प्रातः लगभग 08:00 बजे वह अपने घर से शोर सुनकर अपने पिता के पास गई तो देखा कि वह *बंध* में हैं। सगीर ने अपने पिता के सिर पर *फरसा* से वार किया जिससे उनके सिर पर गंभीर चोटें आईं और इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। इस घटना में रुस्तम, बाबर, सकीला भी शामिल थे। रुस्तम अपने पिता पर धनुष-तीरों से

हमला कर रहा था, जबकि सकीला ने उसके मुंह में एक छड़ डाली और बाबर ने उसके पेट पर छड़ी (*लाठी*) के 50 वार किए।

15.1. जिरह में उसने बताया कि जब वह *बंध* पर पहुंची तो उसने अपने पिता को जमीन पर बेहोश पड़ा पाया। आरोपी उसके साथ मारपीट कर रहे थे। वह वहां गई और उनसे अपने पिता को छोड़कर उसे मारने की गुहार लगाई। साथ ही उसने बताया कि बाबर उसके पिता को लाठी से पीट रहा था। उसके पिता के शरीर के कई हिस्सों पर चोटें थीं, जिनमें सिर, नाक, मुंह, आंख, पेट शामिल हैं। उसने चोटों की गिनती नहीं की। जब तक वह मौके पर पहुंची, उसके पिता जीवित थे। पूर्णिया के अस्पताल में उनकी मौत हो गई। जमीन से जुड़ा विवाद था, जो विवाद का मुख्य कारण था। साथ ही उसने बताया कि जब घटना हो रही थी, तब 3-4 लोग वहां जमा थे।

16. अभि.सा.-2 साहनारा खातून ने अपने मुख्य परीक्षण में कहा है कि घटना के दिन जब्बार गेहूं की फसल काटने के लिए बंध पर गया था। समीर, रुस्तम, बाबर *फरसा, लाठी* लेकर आए और उसके पिता को घेर लिया और फिर समीर ने *फरसा* से मारा, रुस्तम ने तीर से मारा और शकीला ने डंडा उसके मुंह में ठूंस दिया। उसके पिता की अस्पताल में मौत हो गई।

16.1. जिरह में उसने बताया है कि बाबर उसका चचेरा भाई है, जबकि रुस्तम उसका बहनोई है। वह घटना स्थल पर सुबह आठ बजे पहुंची। वह शोरगुल सुनकर पहुंची। उसके पिता जमीन पर पड़े थे। खून बह रहा था और उनके दांत टूटे हुए थे। मुंह में रॉड घुस जाने के कारण उनके मुंह में गंभीर चोट लगी थी। शोरगुल सुनकर उसकी मां भी वहां आ गई। वह अपनी मां के साथ पिता को लेकर घर चली गई। दोपहर में *नमाज* का समय था, तभी उसे लाया गया। जिस मिट्टी में उसकी मौत हुई थी, उसे रविवार को पुलिस को सौंप दिया गया। उसका इलाज पूर्णिया के अस्पताल में

कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। उसने आगे बताया कि घटनास्थल पर खून फैला हुआ था और वहां कोई खेत नहीं था। पुलिस ने घटना के दिन ही बयान दर्ज कर लिया था। बाबर और रुस्तम के साथ पहले से ही विवाद था और दोनों के बीच बातचीत नहीं होती थी। यह भी कहा गया है कि उनके बीच विवाद का कारण भूमि विवाद था।

17. अभि.सा.-3 अब्दुल कबीर सूचक का पुत्र है। उसने अपने मुख्य परीक्षण में बताया है कि बाबर *लाठी* लिए हुए था, शकीला के हाथ में रॉड थी, रुस्तम के हाथ में तीर था और समीर के हाथ में *फरसा* था। समीर ने अपने पिता पर 8-10 बार *फरसा* से हमला किया। इलाज के दौरान उसके पिता की मौत हो गई। वह भी उस समय वहां मौजूद था। यह भी बताया गया है कि पुलिस घटनास्थल पर गई थी। उसका और उसकी मां का बयान पूर्णिया अस्पताल में दर्ज किया गया। *पोस्टमार्टम* अररिया में कराया गया।

17.1. जिरह में उसने बताया कि पुलिस ने घटना के दिन ही उसकी मां का बयान दर्ज कर लिया था, जिसने अपने अंगूठे का निशान भी लगाया था। घटना स्थल पर खून बिखरा हुआ था। उसके पिता के सिर, नाक और होंठ पर गंभीर चोटें आई थीं। जीभ पर भी कट था। वह मारपीट का गवाह था। उसने बताया कि घटना स्थल पर खून के धब्बे दो दिनों तक रहे। पुलिस ने उसके पिता को सीधे पूर्णिया अस्पताल भेजा। मौत के बाद उसे अररिया लाया गया। उसने आगे बताया कि आरोपी उसके चचेरे भाई हैं और उन्होंने तीर-धनुष का इस्तेमाल किया था। वारदात को अंजाम देने के बाद सभी आरोपी अपने हथियार लेकर भाग गए। घटना स्थल पर सात तीर पड़े थे और किसी को तीर नहीं लगा। उसने यह भी बताया कि घटनास्थल पर गेहूं की फसल रौंद दी गई थी।

18. अभि.सा.-4 मरियम इस मामले की मुखबिर है। घटना वाले दिन उसका पति उसके साथ गेहूं काटने आया था। समीर, बाबर, रुस्तम और शकीला वहां आए और उसके साथ मारपीट करने लगे। समीर ने उसके पति के सिर पर *फरसा,* बाबर ने *लाठी,* रुस्तम ने तीर-धनुष से मारा जबकि शकीला ने रॉड से मारा। अस्पताल में इलाज के दौरान उसके पति की मौत हो गई। पुलिस ने उसका बयान दर्ज किया। उसने बयान पर अपने अंगूठे का निशान भी लगाया था।

18.1. जिरह में उसने बताया कि उसके पति की गर्दन पर आरोपियों ने हमला किया था, जिससे उसकी गर्दन पर गंभीर चोट आई थी। उन्होंने उसके चेहरे को विकृत कर दिया था। एस.आई. ने उसके घर पर उसका बयान दर्ज किया, जब वे पूर्णिया से शव लेकर लौटे। उसने यह भी बताया कि घटनास्थल पर खून फैला हुआ था। उसके पति की आंख पर तीर लगा था और घटनास्थल पर दो तीर पड़े मिले थे। उसने दोबारा पुलिस को बयान नहीं दिया। इसके अलावा उसने बताया कि समीर, बाबर और रुस्तम उसके रिश्तेदार नहीं हैं, बल्कि वे सिर्फ सह-ग्रामीण हैं।

19. अभि.सा.-5 किंग कुंदन जांच अधिकारी हैं, जिन्हें 02.04.2016 को भरगामा थाना में प्रभारी अधिकारी के रूप में तैनात किया गया था। उन्होंने भरगामा थाना कांड संख्या 39/2016 के मामले को दर्ज करने के बाद जांच का कार्यभार संभाला। उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सूचक का बयान फिर से दर्ज किया। उन्होंने के. हट से मो. जब्बार की जांच रिपोर्ट प्राप्त की और डायरी में उसका उल्लेख किया। इसके बाद उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया जो मो. रुस्तम का खेत है। इसके बाद उन्होंने गवाहों अयूब खीर, साहनारा, टंकिला के बयान दर्ज किए। औपचारिक एफ.आई.आर. को प्रदर्श-1 के रूप में चिह्नित किया गया।

19.1. जिरह में उन्होंने कहा है कि जांच के दौरान वे पूर्णिया नहीं गए थे। उन्होंने पाया कि खेत में गेहूं की फसल बोई गई थी, लेकिन उन्होंने कटे हुए गेहूं को नहीं देखा। उन्हें घटनास्थल पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। उन्होंने घटनास्थल और सूचक के घर के बीच की दूरी के बारे में नहीं बताया। उन्होंने घटनास्थल पर जाने की तारीख का उल्लेख किया है। वे घटनास्थल पर 12:15 बजे पहुंचे, जिसका उल्लेख उन्होंने पैरा-4 में किया है। उन्होंने आरोपियों को उनके घरों से गिरफ्तार किया। उन्होंने खुद अपने नाम और पते बताए। उन्होंने गिरफ्तारी के पीछे का कारण बताया था, लेकिन डायरी में इसका उल्लेख नहीं किया। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि उन्होंने उस स्थान की जांच नहीं की, जहां मृतक का इलाज किया गया था, क्योंकि उन्होंने *पोस्टमार्टम* रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद इसे आवश्यक नहीं समझा। मृतक के शव का *पोस्टमार्टम* पूर्णिया में ही किया गया था। खून से सना कपड़ा नहीं मिला था, इसलिए उन्होंने इसका जिक्र नहीं किया और न ही किसी स्वतंत्र गवाह का बयान दर्ज किया।

20. अभि.सा. डॉ. अब्दुल अहद ने अपने बयान में कहा है कि वे दिनांक 02.04.2016 को सदर अस्पताल, पूर्णिया में चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित थे। उन्होंने सिविल सर्जन, पूर्णिया के निर्देश पर मृतक का पोस्टमार्टम किया तथा निम्नांकित मृत्युपूर्व चोटें पायी:-

> "(i) ऊपरी और निचले दोनों अंगों पर मृत शरीर की कठोरता पाई गई।
>
> (ii) दाहिनी जांघ, दाहिना पैर, दाहिना अग्रभाग और दाहिनी आंख के आसपास भी कई चोटें आई हैं।
>
> (iii) दाहिनी भौं पर लगभग दो इंच लंबा टांके का घाव।
>
> (iv) नाक के पिछले हिस्से पर लगभग एक इंच लंबा टांके का घाव।

(v) खोपड़ी के मध्य भाग पर एक इंच, डेढ़ इंच और चार इंच के तीन टांके के घाव।

(vi) निचले होंठ पर लगभग एक इंच आकार का टांके का घाव।

**विच्छेदन पर:-**

(i) उपर्युक्त चोटों के ऊतकों में और उनके नीचे रक्त और थक्का पाया गया।

(ii) बाईं पार्श्विका खोपड़ी की हड्डी टूट गई थी।

(iii) कपाल गुहा में रक्त और थक्के पाए गए।

**3. सभी अंतड़ियाँ-**

(i) फेफड़े, यकृत, प्लीहा, गुर्दे आदि पीला पाए गए।

(ii) हृदय का बायाँ भाग खाली पाया गया तथा दायाँ भाग रक्त से भरा हुआ पाया गया।

(iii) पेट खाली पाया गया।

(iv) आँतों में गैसें तथा मल पदार्थ पाए गए।

**रायः-**

(i) मेरी राय में मौत रक्तस्राव और सदमे के कारण हुई है, जो कठोर कुंद पदार्थों के कारण सिर पर लगी चोट के कारण हुई है।

(ii) पोस्टमार्टम के 24 घंटे के भीतर का समय बीत गया।

20.1. अपने जिरह में उन्होंने कहा है कि *पोस्टमार्टम* के दौरान मृतक के शरीर के अंगों पर कई घाव देखे गए थे, लेकिन देखने के बाद यह पता नहीं चल पाया कि चोट किसी कठोर कुंद पदार्थ से लगी है या किसी धारदार हथियार से। ऐसा कहा जा रहा है कि यह वही बता सकता है जिसने मृतक को पहले प्राथमिक उपचार दिया हो। उनका मत है कि घाव किसी कठोर कुंद पदार्थ से लगे हैं।

21. अभियोजन पक्ष द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत साक्ष्य से यह पता चलता है कि दिनांक 02.04.2016 को प्रातः लगभग 09:00 बजे घटित घटना के

लिए सूचक का *फर्दबयान* 14:30 बजे दर्ज किया गया था। उक्त *फर्दबयान* पूर्णिया के सदर अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में दर्ज किया गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि औपचारिक प्राथमिकी अगली तिथि अर्थात 03.04.2016 को प्रातः 11:00 बजे ही दर्ज की गई थी। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि अभियोजन पक्ष के अनुसार सूचक ने उक्त *फर्दबयान* पर अपने दाहिने अंगूठे का निशान लगाया था। हालांकि अभिलेख से यह पता चलता है कि ए.एस.आई. श्री भगवान पांडेय ने उक्त *फर्दबयान* दर्ज किया था। हालांकि अभियोजन पक्ष उक्त पुलिस पदाधिकारी से पूछताछ करने में विफल रहा है। अभि.सा.-4 (सूचनाकर्ता) द्वारा दिए गए बयान से यह भी पता चलता है कि उसका बयान पुलिस अधिकारी द्वारा उसके घर पर तब दर्ज किया गया था जब वह मृतक के शव के साथ पूर्णिया लौटी थी। इसके अलावा, अभि.सा.-3, सूचनाकर्ता के पुत्र द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि पुलिस द्वारा घटना स्थल पर ही सूचनाकर्ता का बयान लिया गया था और उसी स्थान पर सूचनाकर्ता के बयान पर उसके अंगूठे का निशान लिया गया था। इस स्तर पर, हम अभि.सा.-5, जांच अधिकारी द्वारा दिए गए बयान का भी संदर्भ लेना चाहेंगे, जिन्होंने अपनी जिरह के पैरा-6 में विशेष रूप से कहा है कि घटना की तिथि को 12:15 बजे वे घटना स्थल पर पहुंचे थे। इस प्रकार, उक्त बयान से यह कहा जा सकता है कि, सूचनाकर्ता के *फर्दबयान* को 14:30 बजे (02:30 बजे) दर्ज करने से पहले ही जांच अधिकारी घटना स्थल पर पहुंच गए थे। अभिलेख से यह भी पता चलता है कि एफ.आई.आर. विधिवत सिद्ध नहीं है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त साक्ष्य से सदर अस्पताल, पूर्णिया के आपातकालीन वार्ड में *फर्दबयान* दर्ज करने के संबंध में संदेह उत्पन्न हुआ है। घटनास्थल पर सूचक का पहला कथन क्या था, अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है।

22. अभि.सा.-4 (मुखबिर) द्वारा दिए गए बयान से यह पता चलता है कि उक्त गवाह ने खुद को विचाराधीन घटना के चश्मदीद गवाह के रूप में पेश किया है।जैसा

कि यहाँ ऊपर देखा गया है, उनका *फर्दबयान* सदर अस्पताल, पूर्णिया के आपातकालीन वार्ड में दर्ज किया गया था। हालांकि, मुखबिर की बेटी अभि.सा.-2 के बयान से पता चलता है कि वह *हल्लों* की आवाज सुनकर घटना स्थल पर गई थी और मृतक जमीन पर पड़ा था और खून बह रहा था। उक्त गवाह ने आगे कहा कि उसकी माँ भी हल्ला सुनकर वहाँ पहुँच गई थी। मुखबिर की बेटी अभि.सा.-1 द्वारा दिए गए बयान से यह भी पता चलता है कि वह भी *हल्ला* सुनकर घटना स्थल पर पहुंची और वह *बंध* पर पहुंची जहां मृतक मौजूद था।

22.1. *फर्दबयान* के अनुसार, सूचक और उसका बेटा (अभि.सा.-3) सुबह करीब 07:00-08:00 बजे खेत में गेहूं की फसल काट रहे थे और मृतक सुबह करीब 09:00 बजे उक्त स्थान पर आया और उसी समय आरोपीगण वहां आए और मृतक पर *फरसा, लाठी* और तीर जैसे घातक हथियारों से हमला कर दिया। हालांकि, पीडब्लू-4 (सूचक) ने न्यायालय के समक्ष बयान देते समय अपने बेटे की उपस्थिति के बारे में नहीं बताया है। इसके विपरीत, उसने कहा है कि वह मृतक के साथ गेहूं की फसल काटने के लिए खेत में गई थी, जहां आरोपीगण एकत्र हुए और मृतक पर हमला किया।

23. इस स्तर पर, यह भी ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष के गवाहों द्वारा दिए गए बयान में घटनास्थल के संबंध में बड़ी विसंगति है। अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, घटनास्थल सूचक का खेत है जो गांव के पूर्व में स्थित है। हालांकि, अगर हम जांच अधिकारी अभि.सा.-5 द्वारा दिए गए बयान की जांच करते हैं, तो उन्होंने विशेष रूप से कहा है कि उन्होंने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पाया कि यह मोहम्मद रुस्तम का खेत है। इसके अलावा, अभि.सा.-1, सूचक की बेटी ने बयान दिया है कि, *हल्ला* सुनने के बाद, वह उस *बंध* पर पहुंची जहां मृतक मौजूद था, जबकि पीडब्लू-2, सूचक की एक अन्य बेटी ने बयान दिया है कि घटनास्थल पर खून था और

जमीन खून से पूरी तरह गीली थी, लेकिन घटनास्थल पर कोई *बंध* नहीं था। इसी प्रकार, सूचक के पुत्र अभि.सा.-3 ने बयान दिया है कि घटनास्थल पर खून था और खून के धब्बे दो दिनों तक उस स्थान पर बने रहे। उसने आगे बयान दिया कि घटनास्थल पर 7 तीर थे। उसने आगे बयान दिया कि गेहूं की फसल रौंदी गई थी। हालांकि, इस स्तर पर, अगर हम सूचक अभि.सा.-4 द्वारा दिए गए बयान की जांच करते हैं, तो उसने कहा है कि घटनास्थल पर खून था और उक्त स्थान पर 2 तीर पड़े थे। इसके अलावा, घटना के समय ¼ *कट्ठा* गेहूं की फसल काटी गई थी। हालांकि, अगर अभि.सा.-5 (जांच अधिकारी) के बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जाती है, तो यह पता चलता है कि उक्त गवाह ने कहा है कि वह घटना की तारीख को दोपहर करीब 12:15 बजे घटनास्थल पर पहुंचा था। उसने पाया कि गेहूं की फसल रौंदी नहीं गई थी, बल्कि प्राकृतिक स्थिति में थी। उन्होंने कहा कि उक्त स्थान पर कोई कटी हुई गेहूं की फसल नहीं मिली। उन्हें घटनास्थल पर कोई भी आपत्तिजनक सामग्री नहीं मिली। इस प्रकार, उपरोक्त चर्चा से यह कहा जा सकता है कि अभियोजन पक्ष घटनास्थल को साबित करने में बुरी तरह विफल रहा है और अभियोजन पक्ष के गवाहों, जो निकट रिश्तेदार/हितधारक गवाह हैं, द्वारा दिए गए बयानों में बड़े विरोधाभास और विसंगतियां हैं। यह सच है कि केवल इसलिए कि गवाह हितधारक/संबंधित गवाह हैं, उनके बयान को केवल उक्त आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उनके बयान की सावधानीपूर्वक जांच की जानी आवश्यक है। उपरोक्त चर्चा और अभियोजन पक्ष के गवाहों के साक्ष्य से, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि रिश्तेदारों/हितधारक गवाहों के बयानों में बड़े विरोधाभास, विसंगतियां और विसंगतियां हैं और इसलिए, उनके बयान को विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है। उपरोक्त गवाह वास्तव में, संयोग के गवाह हैं और घटनास्थल पर उनकी उपस्थिति संदेह पैदा करती है। इस स्तर पर, यह भी ध्यान रखना उचित है कि विचाराधीन घटना जो सुबह 09:00 बजे कृषि क्षेत्र में हुई थी और

इसलिए, पास के कृषि क्षेत्र में स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति स्वाभाविक थी। हालाँकि, अभियोजन पक्ष ने किसी भी स्वतंत्र गवाह की जाँच नहीं की है। इसके अलावा, मृतक की जाँच रिपोर्ट भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई और उसे प्रदर्शित नहीं किया गया। यहाँ तक कि जाँच गवाहों और जाँच रिपोर्ट के लेखक की भी अभियोजन पक्ष द्वारा जाँच नहीं की गई और इस प्रकार जाँच रिपोर्ट को जानबूझकर दबाया गया जिससे अपीलकर्ता/अभियुक्त को पूर्वाग्रह हुआ। मृतक के शव का *पोस्टमार्टम* करने वाले अभि.सा.-6 (डॉक्टर) के साक्ष्य में भी यह बात रिकॉर्ड में आई है कि शव को कांस्टेबल सुधीर प्रसाद और मोहम्मद साहबुद्दीन द्वारा अस्पताल लाया गया था। हालाँकि, अभियोजन पक्ष द्वारा उपरोक्त गवाहों की भी जाँच नहीं की गई।

24. इसके अलावा, अभि.सा.-6 (डॉक्टर) द्वारा दिए गए बयान से पता चलता है कि मृतक के शरीर पर कई घाव थे और ऐसे घाव करने के लिए इस्तेमाल किए गए हथियारों को मृतक का इलाज करने वाले डॉक्टर द्वारा पदच्युत/बताया जा सकता है। इस स्तर पर, यह ध्यान देने योग्य है कि अभियोजन पक्ष मृतक का इलाज करने वाले डॉक्टर से पूछताछ करने में विफल रहा है। इस प्रकार, अभियोजन पक्ष घटना के तरीके को साबित करने में विफल रहा है।

25. इस स्तर पर, हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सुजीत बिस्वास बनाम असम राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय का उल्लेख करना चाहेंगे, जो **एआईआर 2013 एससी 3817** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें **पैरा-12** में निम्नलिखित कहा गया है:-

> "12. यह एक तय कानूनी प्रस्ताव है कि आपराधिक मुकदमे में, धारा 313 दं.प्र.सं. के तहत आरोपी व्यक्ति से पूछताछ करने का उद्देश्य प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों यानी *ऑडी अल्टरम पार्टम* की आवश्यकता को पूरा करना है। इसका मतलब

है कि अभियुक्त को उससे जुड़ी आपत्तिजनक परिस्थितियों के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण देने के लिए कहा जा सकता है, और अदालत को इस तरह के स्पष्टीकरण पर ध्यान देना चाहिए। परिस्थितिजन्य साक्ष्य के मामले में, यह तय करने के लिए भी यही आवश्यक है कि परिस्थितियों की श्रृंखला पूरी हुई है या नहीं। अभियोजन पक्ष का साक्ष्य चाहे कितना भी कमजोर क्यों न हो, यह अदालत का कर्तव्य है कि वह अभियुक्त से पूछताछ करे और उसके खिलाफ सामने आई आपत्तिजनक सामग्री के संबंध में उसका स्पष्टीकरण मांगे। दं.प्रं.सं. की धारा 313 के तहत अभियुक्त की जाँच में जिन परिस्थितियों को नहीं रखा गया है, उनका उपयोग उसके खिलाफ नहीं किया जा सकता है और उन्हें विचार से बाहर रखा जाना चाहिए। उक्त कथन को साक्ष्य अधिनियम की धारा 3 के अर्थ के भीतर साक्ष्य के रूप में नहीं माना जा सकता है, क्योंकि अभियुक्त से ऐसे कथन के संदर्भ में जिरह नहीं की जा सकती है।"

26. हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **नरेश कुमार बनाम दिल्ली राज्य** के मामले में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख करना चाहेंगे, जो **2024 एससीसी ऑनलाइन एससी 1641** में रिपोर्ट किया गया है, जिसमें **पैरा-21, 22 और 23** में निम्नानुसार कहा गया है:-

"**21.** हम पहले ही यह मान चुके हैं कि किसी अभियुक्त से अपराध करने वाली परिस्थितियों के बारे में पूछताछ न करना या अपर्याप्त पूछताछ करना अपने आप में संबंधित अभियुक्त के मामले में मुकदमे को निष्प्रभावी नहीं बनाता है और उसके मामले में मुकदमे को निष्प्रभावी मानने के लिए यह स्थापित करना होगा कि इससे अभियुक्त के प्रति भौतिक पूर्वाग्रह उत्पन्न हुआ है। यह सच है कि धारा 313, दं.प्र.सं. के तहत जांच के दौरान किसी भी अपराध करने वाली परिस्थिति के बारे में पूछताछ न करने या अपर्याप्त पूछताछ के कारण पूर्वाग्रह या न्यायहनन को स्थापित करने का दायित्व संबंधित दोषी पर है। हम ऐसा इसलिए कहते हैं, क्योंकि यदि अभियुक्त को अंततः बरी कर दिया जाता है, तो उसके पास यह मामला नहीं हो

सकता कि उसके प्रति पूर्वाग्रह था या इस तरह की पूछताछ न करने या अपर्याप्त पूछताछ के कारण न्याय का हनन हुआ था।

**22.** मामले के उपरोक्त दृष्टिकोण के आलोक में, हम आगे के प्रश्न पर विचार करने के लिए इच्छुक हैं कि क्या अपीलार्थी से दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313 के तहत उसकी जांच के दौरान उपरोक्त दोहरे दोषपूर्ण परिस्थितियों पर पूछताछ नहीं की गई है। पी. सी. ने उनके लिए भौतिक पूर्वाग्रह पैदा किया था। *पंजाब राज्य बनाम स्वर्ण* सिंह मामले में इस न्यायालय का निर्णय हमें पूर्वाग्रह के सवाल पर विचार करते समय एक दूसरे कारक पर विचार करने के लिए विवश करता है। *स्वर्ण सिंह के मामले* (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि जहां गवाहों के साक्ष्य अभियुक्तों की उपस्थिति में दर्ज किए जाते हैं, जिनके पास उनसे जिरह करने का अवसर था, लेकिन उन्होंने बयान किए गए तथ्यों के संबंध में उनसे जिरह नहीं की, तो ऐसे गवाहों के साक्ष्य के बारे में अभियुक्त से सवाल करने में चूक ऐसे अभियुक्त के लिए पूर्वाग्रह का कारण नहीं होगी और इसलिए, इसे संबंधित दोषी के मुकदमे को दूषित करने वाले आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।हम पहले ही पता लगा चुके हैं कि अनिल कुमार (अभि.सा.-7), श्रीमती. प्रेम देवी (अभि.सा.-8), श्रीमती मधु (अभि.सा.-19) और आनंद कुमार (अभि.सा.-22) ने उक्त परिस्थितियों के बारे में गवाही दी है।अभिलेख पर उपलब्ध उनकी मौखिक गवाही की जांच से निस्संदेह पता चलेगा कि दोनों बिंदुओं पर, अपीलार्थियों की ओर से उनकी जिरह की गई थी।

**23.** जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्थिति हमें अंतिम प्रश्न पर ले जाएगी कि क्या अपीलकर्ता को उपरोक्त अपराधजनक परिस्थितियों पर उससे पूछताछ न करने के कारण भौतिक पूर्वाग्रह हुआ और इस तरह उसे स्पष्टीकरण देने का अवसर नहीं मिला। इस प्रश्न पर विचार करने के लिए ट्रायल कोर्ट के निर्णय के पैराग्राफ 31

का संदर्भ लेना बेहतर होगा, जिसे विवादित निर्णय के तहत उच्च न्यायालय से वस्तुतः पुष्टि मिली थी। यह इस प्रकार है:—

> *31. जहां तक आरोपी नरेश की भूमिका का सवाल है, पीडब्लू के साक्ष्य में यह बात सामने आई है कि वह (नरेश) ही वह व्यक्ति है, जिसने अपने भाई महिंदर को फोन करके कहा था कि "महेंद्र बाहर आकर उन्हें मार डालो" और उसके बाद मृतक अरुण कुमार को पकड़कर घटना में भाग लेना, स्पष्ट रूप से दोनों यानी नरेश और महिंदर के समान इरादे को दर्शाता है और यहां तक कि विद्वान बचाव पक्ष के वकील को भी उपरोक्त उल्लेखित अधिकारियों से कोई लाभ नहीं मिल सकता है।"*

27. हमने संहिता की धारा 313 के तहत दर्ज अभियुक्त के बयान की भी जांच की है।उक्त कथन से यह पता चलेगा कि अपीलार्थी के खिलाफ सभी आपत्तिजनक सामग्री/परिस्थितियाँ उसके सामने नहीं रखी गई थीं और यह अपीलार्थी/अभियुक्त का एक विशिष्ट मामला है कि उसी के कारण, उसके प्रति बहुत पूर्वाग्रह पैदा किया गया है। अब, यह अच्छी तरह से तय हो गया है कि संहिता की धारा 313 के तहत अभियुक्त का बयान दर्ज करना केवल औपचारिकता नहीं है और यदि बचाव पक्ष को सभी आपत्तिजनक सामग्री नहीं देकर पूर्वाग्रह पैदा किया गया है, तो इस आधार पर भी दोषी के मामले पर विचार किया जा सकता है।

28. वर्तमान मामले के उपरोक्त तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष अपीलार्थी/अभियुक्त के खिलाफ मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है, जिसके बावजूद, निचली अदालत ने अपीलार्थी के खिलाफ दोषसिद्धि और सजा का आदेश दर्ज किया है।इसलिए, विवादित निर्णय और आदेश को रद्द करने और दरकिनार करने की आवश्यकता है।

29. तदनुसार, भरगामा थाना केस संख्या 39/2016 से उत्पन्न सत्र परीक्षण संख्या 548/2016 (सीआईएस संख्या 489/2016) में विद्वान प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अररिया द्वारा पारित दिनांक 14.12.2018 का दोषसिद्धि का निर्णय और दिनांक 18.12.2018 का सजा का आदेश रद्द किया जाता है और उसे रद्द किया जाता है।

30. अपील की अनुमति है।

31. अपीलार्थी, अर्थात् मो. बाबर @मो. बाबर अली, विद्वत ट्रायल कोर्ट द्वारा उसके खिलाफ लगाए गए आरोपों से बरी हो जाता है।यदि किसी अन्य मामले में उसकी हिरासत की आवश्यकता नहीं है तो उसे तुरंत हिरासत से रिहा करने का निर्देश दिया जाता है।

32. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी संख्या 2 मो. रुस्तम की वर्तमान अपील के लंबित रहने के दौरान मृत्यु हो गई है।

33. इस प्रकार, अपीलार्थी संख्या 2 मोहम्मद रुस्तम के संबंध में अपील निरस्त की जाती है।

**(विपुल एम. पंचोली, न्यायमूर्ति)**

**(रमेश चंद मालवीय, न्यायमूर्ति)**

सचिन/-

**खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।**